डाक -व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति - पत्र
क्र. रायपुर - सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, गुरुवार दिनांक 7 फरवरी 2002 माघ 18, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-14/2002/ वा.क./ पांच (9)—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव-

(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (1) तथा (3) एवं,

(2) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) (जिसे इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा , नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, उक्त अधिनियम तथा / केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है .

अनुसूची

माल का वर्ग (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिसके अध्ययीन छूट प्रदान की गयी है। (2)
रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उसकी नई औद्योगिक इकाई, जिसके संदर्भ में वह वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95-	(1) (क) जबकि माल का अधिनियम अथवा केन्द्रीय अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में अथवा अंतर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार के अनुक्रम में विक्रय किया जाए और इस अधिसूचना के अधीन छूट का दावा करने वाला व्यवसायी,कर निर्धारण के समय उस माल के विक्रय के संबंध में संलग्न प्रारुप में, उस माल का निर्माण करने वाले अथवा

विक-पांच (96) दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र गृहिता है, में विनिर्मित माल .	पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवसायी द्वारा नीचे पैरा - (2) में विनिर्दिष्ट रीति में जारी, घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है . (ख) जबकि कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा क्रय दूसरे ऐसे व्यवसायी से विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग अथवा आनुषांगिक माल के रूप में जो कि उसके पंजीयन में विनिर्दिष्ट है, उपयोग हेतु अथवा निर्मित माल की पेकिंग में उपोयग हेतु किया जाता है और इस अधिसूचना के अधीन छूट का दावा करने वाला ऐसा क्रेता व्यवसायी कर निर्धारण के समय संलग्न प्रारूप में उस माल का निर्माण करने वाले अथवा पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यवसायी द्वारा नीचे पैरा - (2) में विनिर्दिष्ट रीति में जारी, घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है . (2) नई औद्योगिक इकाई में माल का निर्माण करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अथवा ऐसे माल का पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी ऊपर (1) में विर्णित घोषणा पत्र क्रेता व्यवसायी को जारी करेगा. ऊपर वर्णित विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी उक्त घोषणा पत्र की चार कार्बन प्रतियाँ तैयार करेगा . मूल प्रति क्रेता पंजीयत व्यवसायी को दी जाएगी, घोषणा पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रति क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जाएगी और चतुर्थ प्रति घोषणा पत्र जारी करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा रखी जायेगी . समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा घोषणा-पत्र की प्रति विक्रेता/क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के संबंधित अवधि के कर निर्धारण प्रकरण में रखी जाएगी .

परिशिष्ट

(वा.क. विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अंतर्गत)

मैं, (व्यवसायी का नाम) .... छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक ....गृहीता, घोषित करता हूँ कि नीचे दिये गये विवरण वाले माल को मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक ....तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक ....धारक (क्रेता व्यवसायी का नाम) .... के श्री /मेसर्स.. को बेचा गया है .

* मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95/विक-पांच (96), दिनांक 7 नवम्बर 1997 द्वारा कर मुक्ति पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त औद्योगिक इकाई में निर्मित किया गया है और उपरोक्त पात्रता प्रमाण-पत्र उपरोक्त मालों के विक्रय के दिनांक को प्रभावशील था .

या

* मेरे द्वारा, पंजीयन व्यवसायी से क्रय किया गया है तथा पंजीयत् व्यवसायी द्वारा नई औद्योगिक इकाई, जिसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95/विक-पांच (96), दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अंतर्गत कर मुक्ति पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, निर्मित किया गया है.

या

* मेरे द्वारा पंजीयत् व्यवसायी से क्रय किया गया है जिसने स्वयं उन्हें अन्य ऐसे व्यवसायी से क्रय किया है जिसने उन्हें वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए -3-12-95/विक-पांच (96), दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अंतर्गत कर मुक्ति पात्रता-पत्र प्राप्त नई औद्योगिक इकाई में निर्मित किया है .

घोषणा पत्र पर बेचे गये माल का विवरण

क्रेता व्यवसायी के क्रय आदेश का विवरण (1)	विक्रेता व्यवसायी के बिल/इनवाई /केश मेमो /चालान (2)	माल का वर्णन (3)	अपनी नई औद्योगिक इकाई में माल का निमार्ण करने वाले व्यवसायी का नाम और पता (4)	मात्रा (5)	मूल्य रु. पैं. (6)

योग रु. ....

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... केवल.

दिनांक ....
स्थान ....

माल बेचने वाली औद्योगिक इकाई /व्यवसायी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत एजेन्ट के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक एफ- 10-14/2002/वा. क./पांच-(9)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-14/2002/वा.क. /पांच (9), दिनांक 7-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-14/2002/CT/V(9)—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by -

(1) Sub-section (1) and (3) of Section 17 of the Chhattishgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), hereinafter referred to as the Adhiniyam); and

(2) Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the Central Act);

The State Government hereby exempts in whole the class of goods specified in column (1) of the Schedule below from the payment of tax under the said Adhiniyam and /Central Act subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Schedule :-

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods manufactured by a registered dealer in his new industrial unit in respect of which he holds an eligibility certficate under CTD Notification No. A-3-12-95/ST-V(96) dated 7th Nov. 1997.	(1) (a) when the goods specified in column (1) are sold by a dealer registered under the Adhiniyam or under the Central Act either inside the state of Chhattisgarh or in the course of inter -state trade or commerce and such dealer, in support of his claim for exemption under this Notification at the time of his assessment in respect of the sales of said goods furnishes to the assessiong authority a declaration in the appended form issued to him by the dealer manufacturing the said goods or a subsequent selling registered dealer selling such goods in the manner specifed in paragtraph (2) below, (b) When the goods specified in column (1) are purchased by a dealer registered under the Adhiniyam from another such dealer for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in manufacture of goods specified

	in his registration certificate or packing material for use in the packing of goods for sale and such purchasing registered dealer in support of his claim for exemption under this Notification furnishes to the assessing authority at the time of his assessment a declaration in the appended form issued by the dealer manufacturing the said goods or a subsequent selling registered dealer selling such goods in the manner specified in paragraph (2) below. (2) The registered dealer manufacturing the goods in his new industrial unit or a registered dealer subsequently selling such goods shall issue a declaration referred in (1) above to the purchasing registered dealer. The selling registered dealer as aforesaid shall prepare four carbon copies of the said declaration, the original shall be issued to the purchasing registered dealer, the second and third copy of the declaration shall be sent by him to the appropriate Commercial Tax Officer of the purchasing registered dealer and the fourth copy shall be retained by the registered dealer issuing such declaration. The appropritate Commercial Tax Officer shall file the copy of the declarations in the assessment case record for the relevant period of the selling registered dealer/purchasing registered dealer.

APPENDIX

(Under CTD Notification No........................ Dated.........................)

I, (Name of the dealer).. holding reigstration certificate No..............................under the chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 hereby declare that the goods particulars of which have been given below sold by me to (Name of the purchasing dealer) Shri/M/s..................................of..holding registration certificate No......................... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 and registration certiicate No.. under the Central Sales Tax Act, 1956.

* have been manufactured by me in industrial unit in respect of which I hold an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from the payment of tax under the Chattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 and the Central Sales Tax Act, 1956 under Commercial Taxes Department Notification No. A-3-12-95/ST-V(96), dated 7th Nov., 1997 and that the said eligibility certificate was in force on the date of the sale of the aforesaid goods.

or

* have been purchased by me from a registered dealer who has manufactured them in his new industrial unit in respect of which he holds an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax under Commercial Taxes Department Notification No. A-3-12-95/ST-V (96), dated 7th Nov., 1997.

or

* have been purchased by me from a registerred dealer who on his pat had purchased them from another such dealer who manufactured them in his new industrial unit in respect of which he holds an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax under Commercial Taxes Department Notification No. A-3-12-95/ST-V(96) dated 7th Nov., 1997.

Particulars of goods sold on declaration

Particulars of the purchase order of the purchasing dealer (1)	Particulars of Bill/Invoice /Cash memo/ Challan of the selling dealer (2)	Description of goods (3)	Name and address of the deaer who manufactured the goods in his new industrial unit (4)	Quantity (5)	Value Rs. P. (6)

Total Rs. ....

Total value (in fgures) Rs. .... (in words) Rs. .... only

Date : ....
Place : ....

Signature of the industrial unit/dealer or his agent duly authorised by him, selling the goods.

Br order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. Mishra, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-14/2002/ वा.क. /पांच (10)—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 6 मई, 1994 से नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धों एवं शर्तों के अध्यधीन कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

माल का वर्ग (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिसके अध्ययीन छूट प्रदान की गयी है (2)
छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल.	1. (1) जबकि माल का विक्रय रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दूसरे ऐसे व्यवसायी को किया जाए, जिसने नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है और जो सक्षम अधिकारी द्वारा - (एक) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95- विक-पांच (96) दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अधीन कर के भुगतान से मुक्ति, अथवा (दो) छत्तीसगढ़ कर के भुगतान का आस्थगन (दस करोड़ प्लस, सौ करोड़ प्लस, पांच सौ करोड़ प्लस) नियम,1997 के अधीन कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा के संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र गृहिता है, और (2) विक्रयकर्ता रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अधिसूचना के अधीन ऐसे उक्त माल के पंजीयत व्यवसायी को किए गए विक्रय पर कर के भुगतान से छूट के दावे के प्रमाण में संलग्न प्ररूप में क्रेता व्यवसायी से,पैरा 2 में विनिर्दिष्ट विहित रीति में जारी किया गया, इस आशय का विक्रय किया गया माल अन्य माल के विनिर्माण में कच्चे रूप में उपयोग अथवा निर्मित माल की पेकिंग के रूप में उपभोग या उपयोग अथवा आनुवांषिक माल के रूप में उपयोग के लिए है, और - (क) वह वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95 -विक.-पांच (96) दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अधीन कर के मुक्ति अथवा छत्तीसगढ़ कर के भुगतान के आस्थगन (दस करोड़ प्लस, सौ करोड़ प्लस पांच सौ करोड़ प्लस) नियम, 1997 के अधीन कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा हेतु पात्रता प्रमाण -पत्र, गृहिता है और (ख) उक्त पात्रता प्रमाण-पत्र, उक्त माल के क्रय के दिनांक को प्रभावशील था, घोषणा करता है. 2 (ए) क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी उक्त घोषणा पत्र चार प्रतियों में तैयार करेगा, मूल घोषणा पत्र विक्रेता व्यापारी को देगा. दूसरी तथा तीसरी प्रति अपने समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजेगा, जो एक प्रति विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजेगा . चतुर्थ प्रति उसके द्वारा रखी जायेगी . विक्रेता /क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा उस व्यवसायी के संबंधित अवधि के कर निर्धारण प्रकरण में घोषणा पत्र की एक प्रति रखी जावेगी . (दो) क्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा एक से अधिक क्रय व्यवहारों के संबंध में एक ही घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि एक ही घोषणा पत्र के अधीन क्रय व्यवहारों का समग्र क्रय मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न हो .

परिशिष्ट
घोषणा

(वा.क. विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अंतर्गत)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक..(व्यवसायी का नाम) का .... में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यवसायी .... से नीचे दिये गए विवरण वाले माल, कच्चे माल के रूप में या आनुषंगिक माल के रूप में अन्य मालों का निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु या निर्मित माल के संवेष्टन के लिए संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग हेतु क्रय किये हैं .

2. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि -

(एक) मैं वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95/विक-5 (96), दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अंतर्गत कर मुक्ति सुविधा

या

छत्तीसगढ़ कर के अस्थगन (दस करोड़ प्लस, सौ करोड़ प्लस, पांच सौ करोड़ प्लस) नियम, 1997 के नियम .... के अंतर्गत कर के भुगतान का अस्थगन का प्रमाण-पत्र धारक हूं;

(दो) मैंने उपरोक्त माल उपरोक्त व्यवसायी से उपरोक्त इकाई में कच्चे माल के रूप में या अनुषांगिक माल के रूप में मालों के निर्माण में उपयोग हेतु या निर्मित माल के संवेष्टन में उपयोग हेतु क्रय किया है,

(तीन) कच्चा माल या अनुषांगिक माल के रूप में उपयोग या उपभोग हेतु क्रय किया गया माल उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में इस अनुसार उल्लेखित है; और

(चार) उपरोक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र और पात्रता प्रमाण-पत्र उपरोक्त मालों के क्रय दिनांक को प्रभावशील थे.

क्रय किये गये माल का विवरण

क्रेता व्यवसायी के क्रय आदेश का विवरण (1)	विक्रेता व्यवसायी के बिल /इनवाईस / केश मेमो/ चालान का विवरण (2)	माल का वर्णन (3)	मात्रा (4)	मूल्य रु. पै. (5)

योग रु. ....

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... केवल

दिनांक ....

स्थान ....

क्रेता पंजीयत व्यवसायी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट देवें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक एफ- 10-14/2002/वा. का./पांच (10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-14/2002/वा.क. /पांच (10), दिनांक 7-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-14/2002/CT/V(10).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of the Section 17 of the chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby exempts in whole with effect from the 6th may, 1994 the class of goods specified in column (1) of the Scheduel below subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in schedule II appended the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995).	1. (1) When the goods are sold by a registered dealer to another suchdealer who has established a new industrial unit in respect of which he holds an eligibity to certificate issued by the competent authority for availing of the facility of - (i) exemption from payment of tax under Commercial Taxes Department Notification No. A-3-12-95/ST-V (96), dated 7th Nov., 1997; or (ii) deferment of payment of tax under Chhattisgarh Deferment of Payment of tax (Ten crores plus, hundred crores plus,five hundred crores plus), rules, 1997; and (2) the selling registered dealer in spport of his claim for exemption from payment of tax under this Notification in respect of the sales of such goods to the registered dealer aforesaid, obtains from such purchasing registered dealer a declaration in the appended form issued by him in the manner specified in paragraph 2, to the effect that the goods being purchased by him are intended for consumption or use as raw material or for use as incidental goods in the manufacture of goods for sale or for packing of goods manufactured by him and that,- (a) he holds an eligibility certificate for availing of the facility of exemption from payment of tax under Commercial Taxes Department Notification No. A-3-12-95/ST-V (96), dated 7th Nov., 1997 or deferment of payment of tax under the Chhattisgarh Deferment of Payment of tax (Ten crores plus, Hundred crores plus,Five hundred crores plus), rules, 1997; and (b) the said eligibility certificate was in force on the date of purchase of the aforesaid goods. (2) (i) The purchasing registered dealer shall prepare the declaration in quadruplicate, the original shall be issued by him to the selling registered dealer. The second and third copy shall be sent by him to his appropriate Commercial Tax Officer who will send one copy to the appropriate CTO of the seling registered dealer. The fourth copy shall be retained by him. The appropriate CTO of seling/purchasing registered dealer shall place the declaration in the assessment case record of such dealer for the relevant period. (ii) the declaration issued by the purchasing registered dealer as aforesaid may cover more than one purchase transaction, provided the aggregate of the purchase prices relation to the transactions covered in the declaration does not exceed rupees one lac.

APPENDIX

Declaration

(Under CTD Notification No........................ Dated........................)

I, (Name of the dealer)..of .... holding registration certificate No...............................under the chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) hereby declare that I have purchased the goods particulars of which have been given below from Shri/M/s... a dealer holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam for consumption or use as raw material or as incidental goods in the manufacture of other goods or far use as packing of manufactured goods.

2. I further declare that, -

(i) I am the holder of an eligibility certificate for availing of the facility of, exemption from payment of tax under Commercial Tax Department Notification No. A-3-12-95/ST-V (96), dated 7th Nov., 1997.

or

deferment of payment of tax under Rule .... of the Chhattisgarh Deferment of Payment of Tax (Ten crores plus, Hundred crores plus, Five Hundred crores plus) rules, 1997;

(ii) I have purchased the said goods from the said dealer for consumption or use as raw material , for use as incidental goods in the manufacture of goods for sale in my new industrial unit/for use in packing of goods manufactured by me in the said unit;

(iii) The goods purchase by me for consumption or use as raw material or for use as incidental goods are specified as such in my registration certificate under the said Adhiniyam; and

(iv) The aforesaid registration certificate and eligibility certificate were in force on the date of purchase of the said goods.

Particulars of goods purchased

Particulars of the purchase order of the purchasing dealer (1)	Particulars of Bill/Invoice /Cash memo/ Challan of the selling dealer (2)	Description of goods (3)	Quantity (4)	Value Rs. P. (5)

Total Rs. ....

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only

Date : ....

Place : ....

* Strike out whichever is not applicable.

Signature of the purchasing registered dealer.

Br order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. Mishra, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ- 10-14/2002/ वा.क. पांच (11).— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जिसे इसके पश्चात् प्रवेशकर अधिनियम कहा गया है. की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 6 मई, 1994 से) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन प्रवेशकर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिसके अध्ययीन छूट प्रदान की गयी है . (3)
1.	प्रवेशकर अधिनियम की अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल.	जबकि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेशकर अधिनियम के अधीन करदायित्वाधीन किसी व्यवसायी द्वारा विक्रय के लिए किया जाए और ऐसा माल वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए - 3-12-95- विक-पांच (96) दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र गृहिता व्यापारी को संलग्न प्रारूप घोषणा पत्र में इस आशय हेतु विक्रय किया जाय कि क्रय किया गया माल उसकी औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में कि वह पात्रता प्रमाण-पत्र गृहिता है, में कच्चे माल के रूप में उपभोग अथवा उपयोग हेतु आशयित है.

परिशिष्ट
घोषणा

(वा.क. विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अंतर्गत)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण- पत्र क्रमांक .... धारक..(व्यवसायी का नाम) का .... मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ की मैंने उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण -पत्र क्रमांक .... धारक व्यवसायी .... से नीचे दिये गये विवरण वाले माल क्रय किये हैं और उक्त माल मेरे .... नाम के ....स्थान ....जिले में स्थित नये उद्योग में कच्चे माल के रूप में मालों का निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु आशयित है .

2. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि :-

(एक) मैं उक्त औद्योगिक इकाई के लिये अवधि ....वर्ष का .... से वैधता वाला वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95/विक-पांच (96), दिनांक 7 नवम्बर, 1997 के अंतर्गत कर मुक्ति सुविधा का पात्रता प्रमाण-पत्र धारक हूँ ;

(दो) क्रय किया गया माल उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित है; और

(तीन) उपरोक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र और पात्रता प्रमाण-पत्र उपरोक्त मालों के क्रय दिनांक प्रभावशील थे .

क्रय किये गये माल का विवरण

क्रय आदेश /बिल/इनवाईस/केश मेमो/चालान/ का विवरण		क्रय माल का वर्णन	मात्रा	मूल्य रु. पैसे
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

योग रु. ....

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... केवल

दिनांक ....
स्थान ....

क्रेता पंजीयत व्यवसायी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक एफ- 10-14/2002/वा. का./पांच (11)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-14/2002/वा.क. /पांच (11), दिनांक 7-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur the 7 the February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-14/2002/CT/V(11)—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniiyam, 1976 (No. 52 of 1976), (hereinafter referred to as Entry Tax Act), the State Government hereby exempts in whole with effect from 6th May, 1994 the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from the payment of entry tax under the said Adhiniyam, subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule:-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
I.	Goods specified in schedule II of the Entry Tax Act.	When the goods specifide in column (2) are entered in to a local area by a Dealer liable to pay tax under the Entry Tax Act for sale and such goods are accordingly sold by him to another such dealer holding a certificate of eligibility under CTD Notification No. A 3-12-95-ST-V (96), dated 7-11-1997 against a declaration in the appended form to the effect that the goods being purchased are for consumption or use as raw materia in his industrial unit in respect of which he holds a certificate of eligibility.

APPENDIX

(Under CTD Notification No......................... Dated.........................)

I, ...(Name of the dealer) of ....(place) holding registration certificate No. under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) hereby declare that I have purchased the goods particulars of which have been given below from .... (Name of the dealer) holding registration certificate No. ....under the said Adhiniyam and the said goods are intended by me for consumption or use as raw material in the manufacture of goods in my new industrial unit under the name .... located at .... in.................................District.

2. I further declare that,-

(i) I hold an eligibility certificate unde :—CTD Notification No. A-3-12-95/ST-V (96), dated 7th Nov., 1997, in respect f the said industrial unit for a period of .... years with validity for the period from .... to ....

(ii) the goods purchased are specified in my registration certificate under the said Adhiniyam, and

(iii) my registration certificate and eligibility certificate were in force on the date of the aforesaid purchase of goods.

Particulars of goods purchased

* Particulars of prchase order /Bill/Invoice /cash memo/ challan No.	date.	Description of goods purchased	Quantity	Value Rs. P.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total Rs. ....

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only

Date : ....

Place : ....

Signature of the dealer

* Stirke out whichever is not applicable.

Br order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. Mishra, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-14/2002/ वा.क/ पांच (12)---छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निचे दी गई अनुसूची के कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट देती है :-

अनुसूची

माल का वर्ग (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्ययन छूट प्रदान की गयी है . (2)
प्रवेशकर अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2 तथा अनुसूची 3 विनिर्दिष्ट माल	जब किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, विक्रय से भिन्न किसी प्रयोजन हेतु या तो उसी ग्रोथ सेंटर के भीतर या उसी औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, जैसा राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाये एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश कराया जाए .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक एफ- 10-14/2002/वा. क/पांच (12)---भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-14/2002/वा.क. /पांच (12), दिनांक 7-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

Raipur the 7th February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-14/2002/CT/V(12)---In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts class of goods specified in column (1) of the Schedule below, from the payment of tax under the said Adhiniyam, from the date of publication of this Notification, subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Class of goods (1)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (2)
Goods specified in schedule II and III appended to the Entry Tax Act.	When the goods are entered, by a registered dealer, from one local area to another local area either within the same growth centre or within the same industrial area, as declared by the State Government, for any purpose other than sale.

Br order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.R. Mishra, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ- 10-14/2002/ वा.क/ पांच (13) — छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

माल का वर्ग	कालावधि	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन छूट प्रदान की गयी है
(1)	(2)	(3)	(4)
टायलेट सोप, वाशिंग सोप एवं वाशिंग डिटरजेन्ट.	(एक) 1-4 1995 से 31-3-1997 तक (दो) 1-4-1997 से 31-12-1999 तक	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 6 प्रतिशत हो जाए. अंश इस प्रकार, जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए.	यह छूट तभी प्राप्त होगी, जबकि कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दरों से ही उपभोक्ताओं से वाणिज्यिक कर वसूल किया गया हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर दिनाकं 7 फरवरी 2002

क्रमांक एफ- 10-14/2002/वा. क/पांच(13) —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-14/2002/वा.क. /पांच (12), दिनांक 7.2.2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Raipur the 7th February 2002

NOTIFICATION

No. F-10-14/2002/CT/V(13)—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1974 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (1) of the Schedule below, from the payment of entry tax under the said Adhiniyam, for the period specified in column (2) to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

Cass of goods (1)	period (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is grante (4)
Toilet soap, washing soap and washing detergent	(i) from 1-4-95 to 31-3-97	Partly so as to reduce the rate of tax u/s. 9 to 6 percent	The exemption shall be available if the tax has been
	(ii) from 1-4-97 to 31-12-99	Partly so as to reduce the rate of tax u/s. 9 to 8 percent.	recovered from the consumers at the rates specified in column (3).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.R. Mishra, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002.